FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत जिला कलेक्टर मुकाम कोटा

सरकार बनाम पप्पू महावर

किस्मः—प्रार्थना पत्र वास्ते वाहन रिलीज कराने बाबत ,

प्रकरण संख्यां 02 वर्ष 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवांही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.08.2019	वकील प्रार्थी उपस्थित । वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई । वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए जाहिर किया कि एफ.आर. नं0 69/16 थाना बोरखेडा जिला कोटा जुर्म दफा 3/7 ई.सी. एक्ट में वाहन सं0 आर.जे. 07—सी.ए.2630 जप्त कर लिया है प्रार्थी जब्तशुदा वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है । पुलिस को उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है । पुलिस की तफ्तीश पूर्ण हो चुकी है । प्रार्थी को उक्त वाहन की सद्भाविक आवश्यकता है । प्रकरण में चालान पेश हो चुका है । प्रार्थी उक्त वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेने हेतु माननीय न्यायालय के आदेशानुसार समुचित जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा पेश करने को तैयार है । दिनांक 27.3.2018 को उपरोक्त प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया है । अतः जब्तशुदा मारूती ओमिनी नं0 आर.जे. 07 सी.ए. 2630 वाहन को प्रार्थी को सुपुर्दगी में दिये जाने का निवेदन किया गया । वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया, उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रकरण सं0 2/2017 सरकार बनाम पप्पू महावर आर्डरशीट दिनांक 27.3.2018 से प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है । प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र को रेस्टोर करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था जबकि प्रार्थी द्वारा रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर दोबारा वाहन रिलीज करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । अतः एक ही प्रकरण में दूसरा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से उक्त प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज किया जाता है । प्रार्थना पत्र फैशल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो । जिला कलक्टर कोटा	

Scanned by CamScanner